प्रारंभिक परीक्षा

केंद्र सरकार को RBI का अधिशेष हस्तांतरण

संदर्भ

RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण (surplus transfer) को मंजूरी दी।

अधिशेष हस्तांतरण के बारे में

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) सभी परिचालन व्ययों और आवश्यक वित्तीय प्रावधानों की कटौती के बाद अपनी अतिरिक्त आय को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है।**
- इस हस्तांतरण को लाभांश (dividend) के बजाय अधिशेष हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है क्योंकि RBI एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, न कि लाभ कमाने वाले वाणिज्यिक संस्थान के रूप में।

कानूनी आधार

- इस प्रक्रिया को **RBI अधिनियम, 1934 की धारा 47** के तहत विनियमित किया जाता है।
- अधिनियम के अनुसार, RBI को सर्वप्रथम निम्नलिखित के लिए प्रावधान करना चाहिए:
  - अशोध्य और संदिग्ध ऋण (Bad and doubtful debts),
  - परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (Depreciation of assets),
  - कर्मचारी कल्याण और पेंशन देनदारियां,
  - अन्य नियमित बैंकिंग और परिचालन आकस्मिकताएं।
- इसके पश्चात शेष राशि भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है।

RBI की आय के मुख्य स्रोत

- अन्य केंद्रीय बैंकों के पास रखे गए बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और जमा जैसे विदेशी निवेशों पर ब्याज।
- घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज।
- रेपो लेनदेन सहित वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण संचालन।
- केंद्र और राज्य सरकारों के उधार के प्रबंधन के लिए शुल्क और कमीशन।
- मुद्रा प्रबंधन और भुगतान प्रणाली संचालन से संबंधित प्रभार।

RBI के प्रमुख व्यय

- करेंसी नोटों की छपाई और वितरण।
- वेतन, पेंशन और अन्य कर्मचारी-संबंधित व्यय।
- सार्वजनिक ऋण संचालन को संभालने के लिए बैंकों और प्राथमिक डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन।

RBI अधिशेष हस्तांतरण का निर्धारण कैसे किया जाता है?

- **आर्थिक पूंजी ढांचा (Economic Capital Framework - ECF):** अधिशेष हस्तांतरण की गणना बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर 26 अगस्त, 2019 को अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे के अनुसार की जाती है।
- **आकस्मिक जोखिम बफर (Contingent Risk Buffer - CRB):** RBI अप्रत्याशित वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए अपनी बैलेंस शीट के 5.5% से 6.5% के दायरे में एक आकस्मिक जोखिम बफर बनाए रखता है।
- **हस्तांतरणीय अधिशेष की गणना:** हस्तांतरणीय अधिशेष RBI की कुल आय में से निम्नलिखित की कटौती के बाद प्राप्त किया जाता है:
    - परिचालन और प्रशासनिक व्यय, और
    - सीआरबी (CRB) के तहत जोखिम प्रावधान।
- **अनुमोदन प्रक्रिया:** अंतिम अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष (जुलाई-जून) की समाप्ति के बाद आयोजित अपनी बैठक के दौरान RBI केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

परिवर्तनीय रेपो दर (VARIABLE REPO RATE - VRR) नीलामी

संदर्भ

आरबीआई ने 3-दिवसीय VRR नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में ₹81,590 करोड़ की अस्थायी तरलता (transient liquidity) डाली।

VRR के बारे में

- **परिवर्तनीय रेपो दर (VRR) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक तरलता प्रबंधन उपकरण है, जिसके माध्यम से बैंक नीलामी द्वारा तय की गई ब्याज दरों पर अल्पकालिक निधि प्राप्त कर सकते हैं।**
- निश्चित रेपो संचालन के विपरीत, जहां आरबीआई उधार दर को पहले से निर्दिष्ट करता है, VRR बाजार-आधारित बोली द्वारा दर निर्धारित करने की अनुमति देता है।

> **अस्थायी तरलता (Transient liquidity) से तात्पर्य किसी वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली में अस्थायी नकदी प्रवाह के उतार-चढ़ाव से है।**

VRR का संचालन

- **VRR तंत्र के तहत, आरबीआई नीलामी-आधारित रेपो संचालन आयोजित करता है, जिनकी परिपक्वता अवधि आम तौर पर 1 से 14 दिनों तक होती है।**
- इन नीलामियों के दौरान बैंक उस राशि को इंगित करते हैं जिसे वे उधार लेना चाहते हैं और वे उस ब्याज दर को भी उद्धृत करते हैं जिसका वे भुगतान करने के इच्छुक हैं।
- आरबीआई अनुकूल बाजार स्थितियों और तरलता आवश्यकताओं के आधार पर बोलियां स्वीकार करता है।

- इस प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से उभरने वाली अंतिम दर को परिवर्तनीय रेपो दर के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, यह दर रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) से नीचे नहीं गिर सकती है, जो एक निचली सीमा के रूप में कार्य करती है और मध्यस्थता (arbitrage) के अवसरों को रोकती है।

VRR का महत्व

- कई बार, अल्पकालिक बाजार ब्याज दरें निश्चित रेपो दर से नीचे आ सकती हैं, जिससे बैंकों के लिए नियमित रेपो विंडो के माध्यम से उधार लेना कम आकर्षक हो जाता है।
- ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, आरबीआई प्रचलित बाजार स्थितियों के अनुरूप दरों पर तरलता डालने के लिए VRR का उपयोग करता है।
- यह बैंकों के लिए उधार लेने को अधिक व्यवहार्य बनाता है।
- वर्तमान तरलता स्थितियों को अधिक सटीकता से दर्शाता है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) के रुख में बदलाव किए बिना मौद्रिक नीति ढांचे का समर्थन करता है।

VRR की मुख्य विशेषताएं

- **लचीली परिपक्वता अवधि:** आमतौर पर 1 से 14 दिनों तक होती है, हालांकि लंबी अवधि का भी उपयोग किया जा सकता है।
- **नीलामी-आधारित तंत्र:** पारदर्शिता और बाजार-संचालित मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देता है।
- **तरलता प्रबंधन उपकरण:** मौद्रिक स्थिरता के साथ अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को संतुलित करने में मदद करता है।
- **एलएएफ (LAF) कॉरिडोर का हिस्सा:** बाजार की ब्याज दरों को आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो और रिवर्स रेपो कॉरिडोर के भीतर रखता है।

VRR और निश्चित रेपो दर: प्रमुख अंतर

मापदंड (Parameter)	परिवर्तनीय रेपो दर (VRR)	निश्चित दर रेपो (Fixed Rate Repo)
ब्याज दर	नीलामी-आधारित बोली के माध्यम से निर्धारित	आरबीआई द्वारा पूर्व निर्धारित
लचीलापन	बाजार की स्थितियों के अनुसार उच्च लचीलापन	सीमित लचीलापन
बाजार की स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता	तरलता में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील	अल्पकालिक परिवर्तनों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील
उपयोग	अस्थिर तरलता स्थितियों के दौरान अधिक बार उपयोग किया जाता है	नियमित तरलता समायोजन तंत्र

भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ

साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत किया।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- **रणनीतिक साझेदारी:** द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।
- **रक्षा सहयोग:** पंचवर्षीय रक्षा सहयोग रोडमैप (2026-2031); साइप्रस ने भारतीय ड्रोन और मिसाइल प्रणालियों में रुचि दिखाई।
- **साइबर और समुद्री सुरक्षा:** साइबर सुरक्षा वार्ता स्थापित करने और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया गया।
- **आतंकवाद-रोधी:** आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य समूह के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **कनेक्टिविटी पहल:** आईएमईईसी (IMEEC) और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) पर सहयोग।
- **व्यापार और निवेश:** दोनों पक्षों का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में निवेश को दोगुना करना है। (साइप्रस भारत के शीर्ष 10 निवेशकों में शामिल है)

साइप्रस के बारे में

- **अवस्थिति:** पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप देश, जो तुर्की, सीरिया और लेबनान के निकट स्थित है। राजधानी: निकोसिया।
- **सदस्यता:** यूरोपीय संघ (EU) और यूरोज़ोन का सदस्य।
- **रणनीतिक महत्व:** यूरोप, पश्चिम एशिया और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- **साइप्रस मुद्दा:** यह द्वीप 1974 से साइप्रस गणराज्य और तुर्की-नियंत्रित उत्तरी साइप्रस के बीच विभाजित है।
- भारत साइप्रस की संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र समर्थित समाधान का समर्थन करता है, जो कश्मीर पर तुर्की की आलोचना और पाकिस्तान को उसके समर्थन के बीच महत्व प्राप्त करता है।
- **भारत के लिए महत्व:** आईएमईईसी (IMEEC) कनेक्टिविटी, यूरोपीय संघ (EU) तक पहुंच, समुद्री व्यापार और निवेश प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण।

मुख्य परीक्षा

भारत-अमेरिका संबंधों में उभरती रणनीतिक खामियां

संदर्भ

हालिया घटनाक्रमों, जिनमें अमेरिका-चीन तालमेल (rapprochement), रूस को लेकर मतभेद, टैरिफ और पश्चिम एशिया संकट शामिल हैं, ने निरंतर रणनीतिक सहयोग के बावजूद भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों में उभरती दरारों को उजागर किया है।

भारत और अमेरिका के बीच संरचनात्मक अभिसरण

- **चीन पर साझा चिंताएं:** दोनों देश इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) शक्ति संतुलन में एकतरफा बदलाव का विरोध करते हैं। (दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण और हिंद-प्रशांत प्रतिस्पर्धा)
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** सैन्य अभ्यासों, रसद समझौतों और रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी का विस्तार। (LEMOA, COMCASA, BECA, INDUS-X)
- **महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां:** सेमीकंडक्टर, एआई (AI), क्वांटम प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग। (iCET पहल)
- **क्वाड और हिंद-प्रशांत सहयोग:** समुद्री सुरक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) के माध्यम से सहयोग।
- **आर्थिक और आपूर्ति-श्रृंखला साझेदारी:** दोनों देश चीन से दूर विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण का समर्थन करते हैं। (चीन+1 रणनीति)
- **लोगों के बीच संपर्क:** भारतीय प्रवासी, शिक्षा और प्रौद्योगिकी-क्षेत्र के संबंध एक प्रमुख स्थिरकारी कारक बने हुए हैं। (सिलिकॉन वैली और अमेरिकी निगमों में भारतीय मूल का नेतृत्व)

भारत-अमेरिका संबंधों में उभरती खामियां

- **लेनदेन और दमनकारी अमेरिकी नीति:** अमेरिका द्वारा व्यापार, टैरिफ और प्रतिबंधों को भू-राजनीतिक संरेखण (geopolitical alignment) के साथ तेजी से जोड़ा जा रहा है। (रूसी तेल आयात पर टैरिफ का दबाव)
- **अमेरिका-चीन सामरिक समायोजन:** वाशिंगटन का चीन के साथ सीधे टकराव से हटकर प्रबंधित प्रतिस्पर्धा और चयनात्मक सहयोग की ओर रुख करना। ("रणनीतिक स्थिरता" और टैरिफ कम करने पर ट्रम्प-शी शिखर सम्मेलन)
- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाम गठबंधन की अपेक्षाएं:** भारत का बहु-संरेखण (multi-alignment) दृष्टिकोण अमेरिका की अधिक रणनीतिक संरेखण की अपेक्षाओं के साथ टकराव पैदा करता है। (रूस, ईरान और ब्रिक्स को लेकर मतभेद)
- **पाकिस्तान कारक:** अमेरिका क्षेत्रीय और सुरक्षा हितों के लिए पाकिस्तान के साथ रणनीतिक जुड़ाव बनाए रखता है। (अफगानिस्तान की विरासत, आतंकवाद-निरोध और क्षेत्रीय स्थिरता की चिंताएं)
- **भिन्न क्षेत्रीय प्राथमिकताएं:** भारत की महाद्वीपीय और ऊर्जा-सुरक्षा चिंताएं अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकताओं से भिन्न हैं। (ईरान पर अमेरिकी-इजरायल हमले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव)

- **प्रौद्योगिकी और आर्थिक विषमता:** अमेरिका-नियंत्रित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता और असमान आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंताएं। (सेमीकंडक्टर, एआई, डिजिटल बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण खनिज)

इन खामियों के पीछे के कारण

- **भिन्न रणनीतिक संस्कृतियां:** अमेरिका गठबंधन-आधारित भू-राजनीति का पालन करता है जबकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता और मुद्दा-आधारित साझेदारी को प्राथमिकता देता है।
- **बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन:** चीन का उदय और बहुध्रुवीयता (multipolarity) का उद्भव वैश्विक रणनीतिक गणनाओं को नया आकार दे रहे हैं। (ब्रिक्स का विस्तार और कमजोर होती एकध्रुवीय व्यवस्था)
- **आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय:** "अमेरिका फर्स्ट" नीतियों ने एकतरफा टैरिफ, प्रतिबंधों और संरक्षणवादी उपायों को बढ़ाया। (ट्रम्प-युग की व्यापार और औद्योगिक नीतियां)

भारत के लिए चिंताएँ

- **रणनीतिक स्वायत्तता के लिए खतरा:** बाहरी दबाव भारत की स्वतंत्र विदेश-नीति विकल्पों को सीमित कर सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा जोखिम:** प्रतिबंध और भू-राजनीतिक संघर्ष किफायती कच्चे तेल के आयात को बाधित कर सकते हैं। (रूसी कच्चा तेल और होर्मुज से संबंधित व्यवधान)
- **अमेरिका-चीन "G2" का जोखिम:** महाशक्तियों का समायोजन भारत जैसी मध्यम शक्तियों को हाशिए पर धकेल सकता है।
- **व्यापार और विनिर्माण भेद्यता:** टैरिफ अस्थिरता निर्यात और आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण को प्रभावित कर सकती है। (इंजीनियरिंग, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र)
- **हिंद-प्रशांत रणनीतिक अनिश्चितता:** अमेरिका के कम होते ध्यान से चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता मजबूत हो सकती है।
- **वित्तीय और आपूर्ति-श्रृंखला जोखिम:** वैश्विक प्रतिबंध-आधारित व्यवस्था शिपिंग, भुगतान और रसद नेटवर्क में भेद्यता बढ़ाती है।

आगे की राह

- **रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करना:** किसी भी गुट पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए स्वतंत्र बहु-संरेखण को जारी रखना।
- **ऊर्जा और व्यापार साझेदारी में विविधता लाना:** संयुक्त अरब अमीरात, मध्य एशिया, अफ्रीका, आसियान (ASEAN) और लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों का विस्तार करना।
- **कनेक्टिविटी कॉरिडोर में तेजी लाना:** चोकपॉइंट (chokepoint) भेद्यताओं को कम करने के लिए INSTC, IMEC और वैकल्पिक समुद्री मार्गों को मजबूत करना।
- **हिंद-प्रशांत साझेदारी को गहरा करना:** जापान, फ्रांस, यूरोपीय संघ (EU), आसियान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग का विस्तार करना।
- **वैकल्पिक वित्तीय तंत्र का निर्माण करना:** स्थानीय मुद्रा व्यापार और लचीली भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देना। (ब्रिक्स डी-डॉलरीकरण चर्चाएं)

- **व्यावहारिक अमेरिकी जुड़ाव को आगे बढ़ाना:** संस्थागत संवाद के माध्यम से राजनीतिक मतभेदों का प्रबंधन करते हुए रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार में सहयोग बनाए रखना।

साइबर युद्ध वैश्विक कानूनी जवाबदेही को पीछे छोड़ रहा है

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े हालिया संघर्षों ने पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ साइबर संचालन के बढ़ते उपयोग को उजागर किया है, जिससे जवाबदेही, आरोपण (attribution) और साइबर प्रशासन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

साइबर युद्ध आधुनिक संघर्ष का हिस्सा बन रहा है

- **हाइब्रिड युद्ध का हिस्सा:** भौतिक हमलों से पहले दुश्मन के संचार और रक्षा प्रणालियों को कमजोर करने के लिए सैन्य हमलों के साथ-साथ अब साइबर हमले भी होते हैं। (इजरायल-ईरान साइबर संचालन ने मीडिया और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया)
- **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना:** आधुनिक साइबर हमले तेजी से आर्थिक व्यवधान पैदा करने के लिए पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और पाइपलाइनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। (यूक्रेन पावर-ग्रिड हमले; अमेरिका में ईंधन आपूर्ति को बाधित करने वाला कोलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर हमला)
- **प्रॉक्सी हैकर समूहों का उपयोग:** राज्य अक्सर प्रशंसनीय खंडन (plausible deniability) बनाए रखने और प्रत्यक्ष जवाबदेही से बचने के लिए अनौपचारिक हैकर समूहों का उपयोग करते हैं। (इज़राइल विरोधी साइबर हमलों से जुड़ा हंडाला हैक टीम)
- **कम लागत लेकिन उच्च प्रभाव:** साइबर युद्ध देशों को बड़ी सैन्य बलों को तैनात किए बिना बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम बनाता है। (स्टक्सनेट (Stuxnet) मैलवेयर ने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया)
- **सूचना और मनोवैज्ञानिक युद्ध:** संघर्षों के दौरान साइबर उपकरणों का उपयोग प्रचार, गलत सूचना फैलाने और जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। (रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान एआई-जनित दुष्प्रचार)
- **नागरिक-सैन्य सीमाओं का धुंधला होना:** उपग्रहों और दूरसंचार नेटवर्क जैसे नागरिक डिजिटल बुनियादी ढांचे तेजी से लक्ष्य बन रहे हैं। (संघर्षों में उपग्रह संचार प्रणालियों पर हमले)

साइबर युद्ध से निपटने में चुनौतियां

- **आरोपण की चुनौती:** हमलावरों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि साइबर हमले कई देशों और नेटवर्कों से होकर गुजरते हैं।
- **कमजोर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा:** मौजूदा कानून मुख्य रूप से साइबर अपराध को संबोधित करते हैं, न कि राज्य-प्रायोजित साइबर युद्ध को। (बुडापेस्ट कन्वेंशन मुख्य रूप से साइबर अपराध को लक्षित करता है)
- **"साइबर हमले" की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं:** अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस बात को लेकर स्पष्टता का अभाव है कि साइबर संचालन कब "बल के प्रयोग" के रूप में योग्य होता है। (संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2(4) में अस्पष्टता)
- **सीमित जवाबदेही तंत्र:** अंतर्राष्ट्रीय अदालतों को राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है और संप्रभु उन्मुक्ति (sovereign immunity) कानूनी कार्रवाई को सीमित करती है।

- **तीव्र तकनीकी विकास:** एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वायत्त साइबर उपकरण नियमों की तुलना में तेजी से विकसित होते हैं।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं का उपयोग:** प्रॉक्सी हैकर समूह और साइबर मिलिशिया जिम्मेदारी और प्रतिशोध (retaliation) को जटिल बनाते हैं।
- **साक्ष्य संग्रह में कठिनाई:** साइबर जांच के लिए वर्गीकृत खुफिया जानकारी और जटिल डिजिटल फोरेंसिक की आवश्यकता होती है।
- **वृद्धि के जोखिम:** बड़े साइबर हमले राज्यों के बीच सैन्य टकराव में बदल सकते हैं। (रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान साइबर तनाव)

आगे की राह

- **वैश्विक साइबर मानदंड विकसित करना:** साइबर स्पेस में जिम्मेदार राज्य व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बनाना।
- **साइबर लचीलापन मजबूत करना:** नियमित ऑडिट, साइबर ड्रिल और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना।
- **आरोपण तंत्र में सुधार:** देशों के बीच साइबर फोरेंसिक और खुफिया जानकारी साझाकरण को बढ़ाना।
- **घरेलू संस्थानों को मजबूत करना:** भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), रक्षा साइबर एजेंसी और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र की क्षमताओं का निर्माण करना।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना:** डिजिटल बुनियादी ढांचे और क्लाउड सेवाओं का प्रबंधन करने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समन्वय करना।
- **कुशल साइबर कार्यबल विकसित करना:** साइबर सुरक्षा शिक्षा, एथिकल हैकिंग और एआई-सुरक्षा अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार करना।